CMGGA
Chief Minister's Good Governance Associates
for a progressive Haryana

वार्ड समिति

नागरिकों और नगरपालिका के बीच संवाद और समन्वय का मजबूत माध्यम

वार्ड समिति क्या है?

वार्ड समिति, **हरियाणा नगरपालिका नागरिक सहभागिता अधिनियम, *2008*** *(Haryana Municipal Citizen Participation Act, 2008)* के तहत प्रत्येक वार्ड में गठित की जाने वाली एक स्थानीय नागरिक–नगरपालिका इकाई है।

यह नागरिकों और नगरपालिका के बीच संवाद और समन्वय का मजबूत माध्यम है।

यह वार्ड स्तर पर नागरिक सेवाओं की निगरानी, समस्याओं की पहचान और सुधार में सक्रिय भूमिका निभाती है।

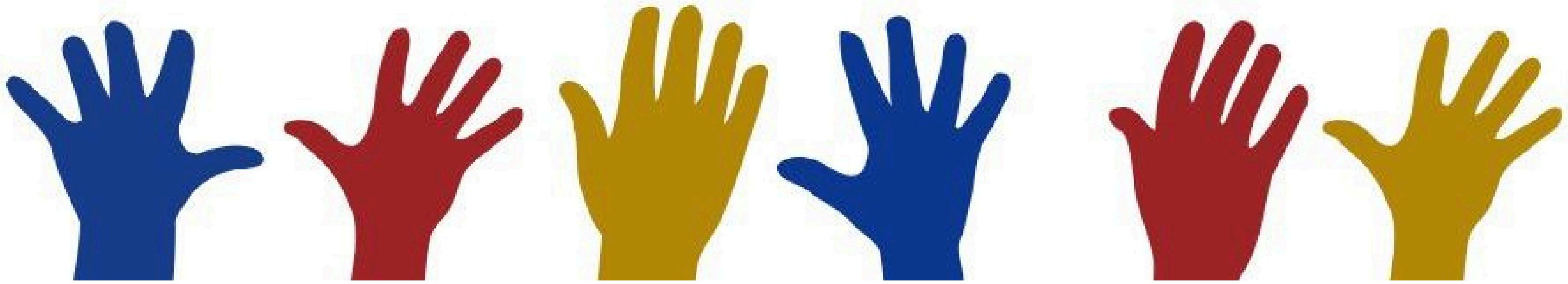

वार्ड समितियों का उद्देश्य

वार्ड समितियों का गठन निम्न उद्देश्यों से किया जाता है:

- निर्णय लेने की प्रक्रिया में **नागरिकों की भागीदारी** सुनिश्चित करना।
- **स्वच्छता** एवं अन्य **नागरिक सेवाओं** की प्रभावी **निगरानी** करना।
- **वार्ड स्तर पर जवाबदेही** स्थापित करना।
- **स्वच्छ भारत** जैसे कार्यक्रमों को ज़मीनी स्तर पर **सफल बनाना**।

जब तक वार्ड स्तर पर मजबूत निगरानी नहीं होगी, तब तक शहर-स्तरीय योजना सफल नहीं हो सकती।

वार्ड समिति के अधिकार

- ज़िला और नगर की योजनाओं की जानकारी लेना
- नगर पालिका के बजट को समझना और सुधार के सुझाव देना
- गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की जानकारी लेना
- भूमि विकास और भूमि उपयोग में बदलाव पर राय देना
- कर और आय से जुड़ी जानकारी सरल रूप में प्राप्त करना
- वार्ड से जुड़े किसी भी विषय पर अधिकारियों से जानकारी लेना

स्पष्ट भूमिकाएँ व ज़िम्मेदारियाँ

CMGGA
Chief Minister's
Good Governance Associates
for a progressive Haryana

वार्ड पार्षद (अध्यक्ष)

- वार्ड समिति की बैठकों की अध्यक्षता
- वार्ड की प्राथमिकताएँ तय करना
- लिए गए निर्णयों की समीक्षा और फॉलो-अप

वार्ड समिति के सदस्य

- घर-घर कचरा संग्रहण व कचरा अलग-अलग होने की निगरानी
- छूटे हुए क्षेत्र, कचरा प्वाइंट, बड़े कचरा उत्पादकों की पहचान
- जागरूकता फैलाना और नागरिक सहभागिता बढ़ाना

नगरपालिका

- ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन और सेवा प्रदान करना
- वाहन, कर्मचारी, डेटा और संसाधन उपलब्ध कराना
- समिति द्वारा बताई गई समस्याओं पर कार्रवाई करना

“हर भूमिका स्पष्ट, हर जिम्मेदारी तय।”

वार्ड समिति की बैठक प्रक्रिया

CMGGA
Chief Minister's
Good Governance Associates
for a progressive Haryana

1. वार्ड समिति की बैठक की **पूरी कार्यवाही का विवरण सामान्य सचिव द्वारा लिखा जाएगा।**
2. प्रत्येक बैठक की **कार्यवाही की एक प्रति नगरपालिका को भेजी जाएगी।**
3. वार्ड समिति की बैठक **वर्ष में कम से कम हर तीन महीने में एक बार** आयोजित की जाएगी।

वार्ड समिति की बैठक आयोजित करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

1. बैठक की सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले दी जाएगी और इसे वार्ड कमेटी कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगाया जाएगा।
2. बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड कार्यालय में रखा जाएगा और आम नागरिकों के देखने के लिए उपलब्ध होगा।
3. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी अगली बैठक में रखी जाएगी।

वार्ड समिति के स्वच्छता संबंधी दायित्व

- परियोजना एवं दायित्वों को समझने हेतु ULB द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेना।
- वार्ड में प्रशिक्षण, जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान आयोजित करना।
- नागरिकों को घर-घर कचरा संग्राहक को केवल पृथक्कृत कचरा देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- वार्ड में निवासियों/ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा कचरा फेंकने से रोकना।
- ULB/ठेकेदार/एजेंसियों के साथ मिलकर IEC गतिविधियों में सहयोग करना।
- वार्ड में स्वच्छता समस्याओं की पहचान कर वार्ड समिति कैलेंडर के अनुसार बैठकें आयोजित करना।
- वार्ड से संबंधित डेटा एवं जानकारी एकत्र कर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करना।

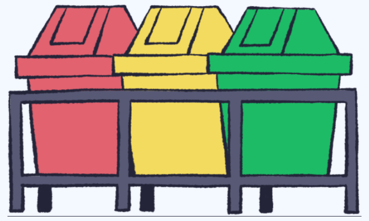

स्वच्छ और कचरा-मुक्त वार्ड (Waste Free Ward) के लिए वार्ड समितियाँ क्यों ज़रूरी हैं?

कारण → परिणाम:

- कचरे की समस्याएँ वार्ड स्तर की होती हैं, शहर स्तर की नहीं
- स्थानीय निगरानी के बिना नगर योजना ज़मीनी स्तर पर सफल नहीं होती
- कचरा अलग करना, यूज़र चार्ज जैसी आदतें स्थानीय नेतृत्व से ही आती हैं
- जब नागरिक खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, तभी नियम लागू हो पाते हैं

ज़मीनी उदाहरण (जो पार्षद रोज़ देखते हैं):

- छूटे हुए रास्ते और गलियाँ → वार्ड सदस्य तुरंत पहचानते हैं
- कचरा डालने के प्वाइंट → रोज़ाना निगरानी से बंद होते हैं
- बड़े कचरा उत्पादक → स्थानीय स्तर पर फॉलो-अप आसान
- स्वच्छ भारत रैंकिंग → वार्ड के प्रदर्शन से सीधे प्रभावित

→ **वार्ड समिति** →

"स्वच्छता की शुरुआत शहर से नहीं, वार्ड से होती है।"

वार्ड कमेटी Solid Waste Management में कैसे मदद कर सकती है?

CMGGA
Chief Minister's Good Governance Associates
for a progressive Haryana

रूट मैपिंग में सहयोग :
जिस गली या एरिया में कचरा गाड़ी नहीं जा रही, उसकी जानकारी देकर route सुधारने में मदद करना।

घर-घर कचरा संग्रहण (D2D Collection) की निगरानी:
देखना कि गाड़ी समय पर आ रही है या नहीं और सभी घरों से कचरा उठ रहा है या नहीं।

कचरे के पृथक्करण (Waste Segregation) को बढ़ावा देना:
लोगों को समझाना कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखना जरूरी है।

जागरूकता (Awareness) फैलाना:
मोहल्ले में छोटी सफाई पर बैठकया घर-घर जाकर स्वच्छता के बारे में बताना।

शिकायत निवारण पोर्टल (Grievance Portal) की जानकारी देना:
लोगों को बताना कि शिकायत दर्ज कहाँ और कैसे करनी है, और portal या helpline की जानकारी देना।

Solid Waste Management की basic समझ

CMGGA
Chief Minister's
Good Governance Associates
for a progressive Haryana

Solid Waste Management का मतलब है:
घर से कचरा सही तरीके से उठाना, उसका segregation (wet & dry) करना और उसे सही जगह तक पहुँचाना।

कचरा प्रबंधन की सरल प्रक्रिया (simple flow)

🏠Segregation @Source
घर में ही गीला और सूखा कचरा (wet & dry waste) अलग करना

→

🚛 Door-to-Door Collection
कचरा गाड़ी हर घर से कचरा उठाए

→

📍 Transportation
कचरे को processing site तक ले जाना

→

♻ Processing / Disposal
कचरे का सही उपयोग या सुरक्षित निपटान

वार्ड स्तर पर सबसे जरूरी क्या है?
✓ हर घर से regular D2D collection
✓ घर पर segregation (wet & dry)
✓ लोगों में awareness और participation

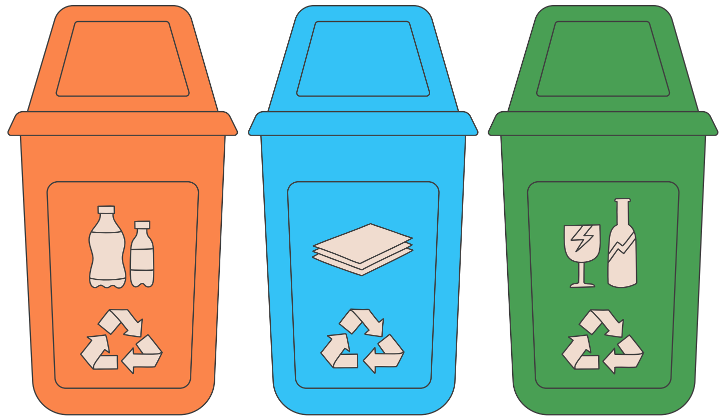

धन्यवाद